विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 15 नवम्बर, 2010

संख्या एल0 एल0 आर0–डी0(6)–34/2010–लेज.––हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 12–11–2010 को अनुमोदित हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2010 (2010 का अध्यादेश संख्यांक 9) को संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित करती हैं।

आदेश द्वारा,
(अवतार चन्द डोगरा)
सचिव (विधि)।

––––––––––

2010 का हिमाचल प्रदेश अध्यादेश संख्यांक 9

हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2010

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित।

हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 13) का और संशोधन करने के लिए अध्यादेश।

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सत्र में नहीं है और हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल का समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण उनके लिए तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है;

अतः हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करती हैं :––

1. संक्षिप्त नाम.––इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2010 है।

2. धारा 11 का संशोधन.––हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 (जिसे इसमें इसके पश्चात् ''मूल अधिनियम'' कहा गया है) की धारा 11 की उपधारा (1) के प्रथम परन्तुक में ''और उपाध्यक्ष'' शब्दों का लोप किया जाएगा।

3. धारा 22 का संशोधन.––मूल अधिनियम की धारा 22 के प्रथम परन्तुक में ''और उपाध्यक्ष'' शब्दों का लोप किया जाएगा।

उर्मिला सिंह,
राज्यपाल।

––––––––––

ए0 सी0 डोगरा,
सचिव (विधि)।

शिमला :
तारीख : ...., 2010

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

H.P. Ordinance No. 9 of 2010.

THE HIMACHAL PRADESH MUNICIPAL (AMENDMENT) ORDINANCE, 2010

Promulgated by the Governor of Himachal Pradesh in the Sixty-first year of the Republic of India.

AN

ORDINANCE

further to amend the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 (Act No. 13 of 1994).

WHEREAS, the Legislative Assembly of Himachal Pradesh is not in session and the Governor is satisfied that circumstances exist which render it necessary for her to take immediate action;

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by clause (1) of article 213 of the Constitution of India, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to promulgate the following Ordinance:—

1. Short title.—This Ordinance may be called the Himachal Pradesh Municipal (Amendment) Ordinance, 2010.

2. Amendment of section 11.—In section 11 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994, hereinafter referred to as the principal Act), in sub-section (1), in first proviso, the words and sign "and Vice-President" shall be omitted.

3. Amendment of section 22.—In section 22 of the principal Act, in first proviso, the words and sign "and Vice-President" shall be omitted.

URMILA SINGH,
Governor.

A. C. DOGRA,
Secretary (Law).

SHIMLA :
Dated :............................., 2010